संख्या- /2022/ /001-20-B-2019

प्रेषक,

प्रशान्त त्रिवेदी,
अपर मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
होम्योपैथी,
उ0प्र0 लखनऊ।

आयुष अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक अगस्त, 2022

विषयः- वर्तमान वित्तीय वर्ष 2022-23 में जिला होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी कार्यालय, महाराजगंज के भवन निर्माण हेतु धनराशि की स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-नि0हो0/1072-बी/82/19-20/टीसी/1992 , दिनांक 30.06.2022 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या-7/2020/1041/ 96-आयुष-2-2020-20(बी)/2019, दिनांक-28.03.2020 द्वारा जिला होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी कार्यालय, महाराजगंज के भवन निर्माण हेतु रू0 80.62 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति एवं रू0 64.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गयी थी। प्रश्नगत निर्माण कार्य हेतु वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक अनुदान संख्या-34, लेखाशीर्षक-''4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय-01-शहरी स्वास्थ्य सेवायें-800-अन्य व्यय-05-होम्योपैथिक चिकित्साधिकारियों के कार्यालय भवन का निर्माण-24-वृहद निर्माण कार्य के अन्तर्गत कुल प्राविधानित धनराशि रू0 100.00/- लाख के सापेक्ष अवशेष धनराशि रू0 16.62 लाख (रू0 सोलह लाख बासठ हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने पर निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैंः-

नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों

1. आगणन में ली गयी मात्राओं/प्राविधानों/दरों के औचित्य की पूर्ण जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था की है।
2. आगणन में उल्लिखित मदों/मात्राओं/दरों/लागत को इण्डिकेटिव मानते हुए मात्र बजट एलोकेशन हेतु ही प्रयोग किया जायें।
3. कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व नियमानुसार कार्यदायी संस्था द्वारा तकनीकी स्वीकृत अवश्य प्राप्त की जाय।
4. प्रायोजना अन्तर्गत कार्यमदों /विशिष्टियों में कोई परिवर्तन मूल्यांकन समिति का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं

किया जायेगा।

5. चयनित कार्यदायी संस्था द्वारा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक आपत्तियां सक्षम स्तर से प्राप्त करने के उपरान्त ही निर्माण /स्थापना का कार्य किया जायेगा।
6. परियोजनाओं में प्रस्तावित मात्राओं को निर्माण/स्थापना के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित आयुष कालेज के प्राचार्य, सम्बन्धित जिला होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी एवं निदेशक का होगा।
7. परियोजना में प्रस्तावित कार्य/स्थापना सम्बन्धी कार्य की डुप्लकेसी को रोकने की दृष्टि से निर्माण काई/सम्बन्धित आयुष कालेज के प्रचार्य, सम्बन्धित जिला होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी एवं निदेशक द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत था और न ही वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित होगा।
8. प्रायोजना अन्तर्गत सम्बन्धित उपकरण/संयत्र के क्रय में सुसंगत वित्तीय नियमों, उत्तर प्रदेश प्रोक्योरमेंट मैनुअल (प्रोक्योरमेंट आफ गुड्स)2016 के प्राविधानों तथा सूक्ष्म लघु तथा मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग द्वारा ई0 टेण्डर/ई0 प्रोक्योरमेंट/गर्वनमेन्ट, ई0 मार्केट प्लस(जेम पोर्टल) से सम्बन्धित शासनादेशों का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
9. कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण दायित्व सम्बन्धित आयुष कालेज के प्रचार्य, सम्बन्धित जिला होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी एवं जिला स्तर के परियोजनाओं में सम्बन्धित निदेशक का होगा।
10. प्रायोजना में सम्मिलित जो कार्य प्रोपराईटरी श्रेणी का कार्य है एवं इनके शेड्यूल आफ रेट्स उपलब्ध नहीं होते हैं तथा इनके मेक, माड्ल एवं स्पेशिफिकेसन के अन्तर से लागत में अन्तर आना स्वभाविक है। अतः आयुष कालेज के प्रचार्य, जिला होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी एवं निदेशक द्वारा निर्माण के समय इसका कार्य एवं स्थापना सुसंगत वित्तीय नियमों के आधार पर की जाय।
11. प्रायोजना का निर्माण स्वीकृत लागत में ही पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित कराया जाय।
12. प्रायोजना का कोई पुनरीक्षित अनुमन्य नहीं होगा।
13. उपकरण/फर्नीचर क्रय बॉट आउट एवं प्रोपराईटरी श्रेणी के कार्य हेतु सेन्टेज अनुमन्य नहीं होगा।
14. प्रायोजना अन्तर्गत प्रयुक्त निर्माण कार्यों की लागत पर ही आकस्मिक व्यय, लेबर सेस एवं सेन्टेज चार्ज अनुमन्य होगा।
15. अवमुक्त धनराशि का व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि को पी0एल0ए0/ बैंक खाते में नहीं रखा जायेगा।
16. सम्बन्धित परियोजनाओं के आगणन में वर्णित लेबर सेस की कुल धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को ही उक्त धनराशि का भुगतान किया जाय।
17. वित्त बजट अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-8/2017/20-1-1190 /दस-2-2017-231/2017 दिनांक 03.08.2017 तथा वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1 के पत्र संख्या-3/2021/बीस-375/दस-2021-231/2021, दिनांक 22.03.2021 एवं समय समय पर निर्गत अन्य मार्गदर्शक शासनादेशों में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
18. यदि प्रस्तावित प्रयोजना अन्तर्गत उच्च विशिष्टियां सम्मिलित हैं तो उच्च विशिष्टियों का सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात ही धनराशि अवमुक्त की जायेगी।
19. अनुरक्षण सम्बन्धी कार्यों में कार्यदायी संस्था द्वारा कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व तथा कार्य समाप्त करने के पश्चात विडियोग्राफी इस तरह से करायी जायेगी जिससे कि अनुरक्षण के कार्य स्पष्ट सत्यापित किये जा सकें।
20. निदेशक/प्राचार्य/जिला होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी एवं कार्यदायी संस्थाओं द्वारा कार्य सम्पादित करते समय वित्त/लोक निर्माण विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत सुसंगत आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रु0 16 ,62,000 (रुपये सोलह लाख बासठ हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 20222023 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 034 **लेखा शीर्षक** 4210018000500 होम्योपैथिक चिकित्साधिकारियों के कार्यालय भवन का निर्माण **मानक मद** 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक-07-जून 2022 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(प्रशान्त त्रिवेदी)
अपर मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

संख्या- /2022/ /001-20-B-2019, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी द्वितीय) उ0प्र0 प्रयागराज।
2. वित्त नियंत्रक, होम्योपैथी निदेशालय, लखनऊ।
3. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4. जिला होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी, महाराजगंज, उ0प्र0।
5. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 स्टेट कान्सट्रक्शन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर लि0।
6. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(शैलेन्द्र कुमार)
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।